

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।
वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com
फोन नं० 0135-2669658

पत्रांक -/92/परीक्षा- अधियाचन/2020


देहरादून: दिनांक: 22 जून, 2020

विज्ञापित / संशोधन

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-16/उ.अ.से.च.आ./2017 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पदकोड-117) के 19 पद, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी (पदकोड-118) के 11 पद तथा रेडियो केन्द्र अधिकारी (पदकोड-119) के 19 पद अर्थात् संयुक्त रूप में 47 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का अवसर न होने के कारण इस विज्ञापन को रिट याचिका संख्या-1450/2018(एस0/एस0) कामिनी आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में चुनौती दी गयी। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने इस मामले में दिनांक 19.03.2020 को पारित निर्णय में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पदकोड 117) के पद महिला अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर न दिया जाना तथा तद्विषयक सेवा नियमावली के नियम 10(3) को असंवैधानिक घोषित करते हुये विज्ञापन को निरस्त (quash) कर दिया गया है।

अतः इस मामले में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 19.03.2020 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या-16/उ.अ.से.च.आ./2017 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में सम्मिलित अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पदकोड 117 के 19 रिक्त पदों की विज्ञापित व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। पद कोड 118 रेडियो अनुरक्षण अधिकारी तथा पदकोड 119 रेडियो केन्द्र अधिकारी की विज्ञापित यथावत रहेगी।

विज्ञापन संख्या-16/उ.अ.से.च.आ./2017 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


सचिव,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग